

**कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म0प्र0)**  
**//आदेश//**

क्रमांक/०१ /एक/ 11/03/सां./2010

अशोकनगर, दिनांक ०१-०१-२०२३

मैं, पी०के शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म0प्र0) मध्य प्रदेश सिविल कोर्ट एक्ट 1958(19 ऑफ 1958) की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 194, 381(2) और धारा 400 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों को अधिकमित (सुपरसीड) करते हुये सिविल जिला अशोकनगर में पदस्थ समस्त न्यायाधीशगणों/न्यायालयों के बीच सिविल कार्य एवं उच्च न्यायिक सेवा के न्यायाधीशों के बीच दांडिक कार्य का वितरण/विभाजन एवं क्षेत्राधिकार निम्नानुसार घोषित करता हूँ यह आदेश, आदेश दिनांक से प्रभावशील होगा, परन्तु इस कार्य विभाजन आदेश के प्रभावशील होने के पूर्व जो कार्य एवं प्रकरण जिस न्यायालय के न्यायाधीश के पास लंबित हैं या प्रस्तुत हुये हैं, उन पर न्यायिक/प्रशासकीय आदेश से अन्यथा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

क्रमांक.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर	व्यवहार जिला, अशोकनगर	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. समस्त सत्र प्रकरण</li> <li>2. समस्त आपराधिक अपील।</li> <li>3. समस्त आपराधिक पुनरीक्षण।</li> <li>4. तहसील अशोकनगर, शाढ़ौरा, ईसागढ़ एवं नईसरांय के पुलिस थाने एवं चौकीयों से उत्पन्न समस्त आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438,439 द.प्र.सं. 1973</li> <li>5. धारा 408 एवं 409 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन।</li> <li>6. बाल अधिकार आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 25 के अन्तर्गत बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बाल अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों से संबंधित समस्त प्रकरण।</li> <li>7. समस्त दोष मुक्ति/दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील निगरानी, जो मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/न्यायिक दण्डाधिकारीगण अशोकनगर द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों के विरुद्ध।</li> <li>8. ऐसे समस्त प्रकरण, जो संबंधित अधिनो के प्रावधानों के अनुसार सत्र न्यायाधीश द्वारा विशेष न्यायाधीश के रूप में सुनवाई योग्य हों।</li> <li>9. किशोर न्यायालय बोर्ड अशोकनगर से उत्पन्न आदेश व निर्णयों के विरुद्ध अपील।</li> <li>10. क्रमांक 1 से 10 तक संबंधित मामलों से उत्पन्न</li> </ul>

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
			विविध प्रकरण।
	तहसील अशोकनगर, इसागढ़, शाढ़ौरा, नईसराय		
11.		व्यवहारवाद, जो दस करोड़ एक रुपये से अधिक किसी भी मूल्य तक के मय दिवालिया प्रकरणों के।	
12.		तहसील मुंगावली/चन्देरी से उत्पन्न व्यवहारवाद, जिनका मूल्य दस करोड़ एक रु. से अधिक किसी भी मूल्य तक के, मय दिवालिया प्रकरणों के।	
13.		संपूर्ण व्यवहार जिला अशोकनगर से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्रोब्रेट एक लाख रुपये से अधिक।	
14.		विशेष अधिनियम जैसे एगमार्क अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम के अधीन प्रस्तुत प्रकरण।	
15.		न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, प्र.व्य.न्याया वरिष्ठ खण्ड के प्रथम/द्वितीय/तृतीय अति.व्यवहार न्याया वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर, द्वि.व्यवो न्याया. वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर व प्र.व्य.न्याया. कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर, द्वि.व्य.न्या कनिष्ठ खण्ड, एवं तृतीय व्यवो न्याया० कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर एवं चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर एवं चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम. अति० न्यायाधीश, अशोकनगर द्वारा निराकृत व्यवहार वादों, विविध वादों, निष्पादन वादों में पारित निर्णय एवं जय पत्र आदेशों के विरुद्ध नियमित अपील एवं विविध अपीले।	
16.		म.प्र न्यास अधि.के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण।	
17.		व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अंतर्गत आवेदन पत्र।	
18.		न्यायालय ग्राम न्यायालय अशोकनगर/चन्देरी से उत्पन्न आदेश, निर्णय व विविध आदेश के विरुद्ध अपील व रिवीजन।	
19.		कर्मरित्यल मामले/माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, संपूर्ण जिला अशोकनगर।	
20.		आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई का क्षेत्राधिकार रखने वाले मामले।	
21.		खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 से संबंधित अपील संपूर्ण अशोकनगर जिला।	

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
			<p>22. सिविल जिला अशोकनगर की स्थानीय सीमाएं से उत्पन्न होने वाले अनुतोष अधिनियम 1963 (1963 का 47) की धारा 20(ख) अंतर्गत अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग एवं दावों का विचारण।</p> <p>23. क्रमांक 12 लगायत 22 में उल्लेखित प्रकरणों से उत्पन्न विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन प्रकरण</p> <p>24. अन्य समस्त प्रकरण, जो इस विभाजन पत्रक में सम्मिलित नहीं है, लेकिन प्रधान जिला न्यायाधीश अशोकनगर के सुनवाई योग्य हो।</p>
	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर की हैसियत से पदस्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अशोकनगर		<p>25. तहसील अशोकनगर, ईसागढ़, शाढ़ौरा एवं नईसरांय के थाना क्षेत्रों एवं पुलिस चौकियों से उत्पन्न मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति के प्रकरणों व उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 165(2) के संशोधन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले क्लेम प्रकरण एवं प्रवर्तन।</p>
2.	प्रथम जिला एवं अंती सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर	सत्रखण्ड अशोकनगर	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अन्तरण पर सत्र प्रकरण, आप. अपील, आन. पुनरीक्षण, विविध आप. प्रकरण सौंपे जावेंगे।</li> <li>न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत होने वाले विविध प्रकरण समस्त।</li> <li>तहसील अशोकनगर, ईसागढ़, शाढ़ौरा एवं नईसरांय से उत्पन्न एक करोड़ एक रु. से दस करोड़ रुपये तक के व्यवहारवाद, मय दिवालिया प्रकरण।</li> <li>अन्य सभी प्रकार के साम्पत्तिक प्रकरण जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जावेंगे।</li> <li>भू—अर्जन संबंधी प्रकरण।</li> <li>लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत 500 से अधिक एवं 1000 रु. तक के प्रकरण।</li> <li>मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधि. के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक अधिकारी एवं न.पा. विधान के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपीले।</li> <li>तह. अशोकनगर, ईसागढ़, शाढ़ौरा एवं नईसरांय से उत्पन्न भा. उत्तराधिकार अंती के अंतर्गत लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्रोवेट संबंधी प्रकरण 1 लाख रु. की सीमा तक।</li> <li>प्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत सत्रखण्ड अशोकनगर में उद्भूत होने वाले समस्त</li> </ol>

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
विशेष सत्र प्रकरण, जो विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय हैं।			
10.			निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त विशेष सत्र प्रकरण।
11.			मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकायें, तह. अशोकनगर, ईसागढ़, शाढ़ौरा एवं नईसरांय क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न।
12.			प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा स्थानांतरित किये जाने वाले मोटर दुर्घटना दावा संबंधी कलेम प्रकरण।
13.			प्रथम/चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त (फास्ट ट्रैक कोर्ट) एवं प्रथम/द्वितीय/अतिरिक्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर एवं प्रथम/द्वितीय जिला एवं सत्र अतिरिक्त न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/अतिरिक्त न्यायाधीश का न्यायालय रिक्त होने की दशा में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश (दीवानी/फौजदारी) जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने से उनका निराकरण करेंगे तथा उनके न्यायालय से उत्पन्न विविध व्यवहारवाद/निष्पादन वाद का भी विधिवत निराकरण करेंगे तथा निराकृत दीवानी एवं कलेम प्रकरणों से उत्पन्न सभी समस्त प्रकरणों का विधिवत निराकरण करेंगे।
14.			<u>तहसील अशोकनगर, ईसागढ़ शाढ़ौरा एवं नईसरांय के थाना क्षेत्रों एवं पुलिस चौकियों से उत्पन्न विधुत अधिनियम, 2003 से उद्भूत होने वाले ऐसे समस्त विशेष सत्र प्रकरण जो विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय हैं।</u>
15.			मुख्यालय अशोकनगर से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध जैसे रेप, गैंगरेप, रेप विथ मर्डर एवं उससे संबंधित समस्त अपराध।
16.			उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहारवाद एवं अन्य प्रकरणों से उद्भूत होने वाले समस्त विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण।
17.			न्यायालय द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय से व्यवहार प्रकरण प्रत्याहरण किये जाने के फलस्वरूप उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहारवाद एवं अन्य प्रकरणों से उद्भूत होने वाले समस्त विविध कार्यवाहिया एवं प्रवर्तन प्रकरण।

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
3.	द्वितीय जिला एवं अतिः सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर	सत्रखण्ड अशोकनगर	<p>1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरण पर सत्र प्रकरण, आप.अपील, आप. पुनरीक्षण, विविध आप. प्रकरण सौपे जावेगें।</p> <p>2. संपूर्ण जिला अशोकनगर से उत्पन्न होने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।  <u>(एस०सी०/एस०टी० एक्ट न्यायालय में दोनों अधिनियमों अर्थात् पॉक्सो एक्ट एवं एस०सी०/एस०टी० एक्ट के तहत दर्ज किये गये प्रकरणों को छोड़कर)</u></p> <p>3. एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण जिला अशोकनगर से उत्पन्न होने वाले प्रकरण।</p> <p>5. नेशनल इनवेस्टीगेशन एजेन्सी एक्ट, 2008 अंतर्गत दर्ज होने वाले प्रकरण।</p> <p>6. न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उदभूत होने वाले विविध प्रकरण समस्त।</p> <p>7. राजस्व जिला अशोकनगर से उदभूत अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिये अधिनियम, 2019 (2019 का 21) के मामले।</p> <p>8. उक्त न्यायालय द्वारा उपरोक्त सरल कं0 01 लगायत 07 से निराकृत एवं उदभूत होने वाले समस्त विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण।</p>
4.	प्रथम जिला एवं अतिः सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश	-	<p>1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरण पर सत्र प्रकरण, आप.अपील, आप. पुनरीक्षण, विविध आप. प्रकरण सौपे जावेगें।</p> <p>02. मुख्यालय अशोकनगर क्षेत्राधिकार से उदभूत होने वाले पॉक्सो अधिनियम, 2012 से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>03. माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर झापन कं0 डी/1869 जबलपुर दिनांक 18.06.2021 एवं माननीय उच्च न्यायालय आपराधिक अपील संख्या 5189/2020 प्रमोद यादव वि0 म0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2021 के अनुपालन में संपूर्ण जिला अशोकनगर से उत्पन्न होने वाले <u>एस०एसी०/एस०टी० एक्ट न्यायालय के वे मामले जिनमें दोनों अधिनियमों अर्थात् पॉक्सो एक्ट एवं एस०सी०/एस०टी० एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं।</u></p> <p>04. न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उदभूत होने वाले समस्त विविध प्रकरण।</p>

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
5.	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुंगावली	सत्रखण्ड अशोकनगर तहसील मुंगावली	<p>1. सत्र प्रकरण।</p> <p>2. आपराधिक अपीलें।</p> <p>3. आपराधिक पुनरीक्षण।</p> <p>4. तहसील मुंगावली एवं पिपरई (तहसील चंदेरी की सीमा तक) के पुलिस थाने एवं चौकियों से उत्पन्न प्रतिभूति आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र. सं. 1973 प्रस्तुत होने पर उनका निराकरण।</p> <p>5. आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई का क्षेत्राधिकार रखने वाले मामले।</p> <p>6. समस्त दोष मुक्ति/दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील /निगरानी जो मुंगावली स्थित न्यायिक दण्डाधिकारीगण के न्यायालयों एवं अनुदण्डाधिकारी मुंगावली द्वारा पारित निर्णय, दंडादेश एवं आदेश के विरुद्ध अपील, पुनरीक्षण प्राप्त होने पर उनमें स्थगन बावत विचार किया जावेगा। तत्पश्चात् पंजीयन हेतु सत्र न्याया.अ/नगर में प्रस्तुत किया जावेगा, तदोपरांत सत्र न्याया. के आदेशानुसार उनमें आगामी कार्यवाही की जावेगी।</p> <p>7. रूपये एक करोड़ एक रूपये से दस करोड़ रूपये तक के मुंगावली एवं पिपरई तहसील क्षेत्र से उत्पन्न व्यवहार वाद।</p> <p>8. भू-अर्जन संबंधी प्रकरण।</p> <p>9. लघुवाद अधिरियम के अंतर्गत पाँच सौ रु. से अधिक एक हजार रु. तक के प्रकरण।</p> <p>10. भा.विवाह विच्छेद अधिरियम 1980 के अंतर्गत एवं हिं.विवाह अधिरियम 1955 के अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>11. गर्जियन एण्ड वार्डस एकट 1890 के अंतर्गत संरक्षककर्ता एवं प्रतिपाल अधिरियम 1890 के अधीन प्रकरण।</p> <p>12. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्रोवेट संबंधी प्रकरण 1 लाख रु. की सीमा तक।</p> <p>13. म०प्र० स्थान नियंत्रण अधिरियम के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक अधिकारी एवं नगरपालिका विधान के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील।</p> <p>14. तहसील मुंगावली एवं पिपरई के नगरपालिका अधिरियम के अंतर्गत आधिकारिता क्षेत्र रखने वाले मामले एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकायें, तहसील मुंगावली एवं पिपरई क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न।</p> <p>15. अन्य सभी प्रकार के ऐसे साम्पत्तिक प्रकरण, जिन्हें समय-समय पर जिला न्यायाधीश अशोकनगर द्वारा सुनवाई हेतु अंतरित किया</p>

संख्या	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
जावेगा।			
16.			अतिरिक्त / व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड प्रथम / द्वितीय / तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड मुंगावली के न्यायालयों द्वारा व्यवहारवादों में पारित, निर्णय, जयपत्रों के विरुद्ध अपीले एवं आदेशों के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीले।
17.			निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त विशेष सत्र प्रकरण।
18.			मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिकारी एवं न.पा विधान के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपीले।
19.			<u>विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 के अधिनियम क्र. -36) के अन्तर्गत तहसील मुंगावली, पिपरई एवं चंदेरी से उद्भूत होने वाले ऐसे प्रकरण, जो विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है।</u>
20.			<u>तहसील मुंगावली एवं पिपरई (तहसील चंदेरी की सीमा तक) से उत्पन्न होने वाले पॉक्सो अधिनियम, 2012 से संबंधित समस्त प्रकरण।</u>
21.			क्रमांक 1 लगायत 20 से संबंधित प्रकरणों से उत्पन्न विविध आपराधिक एवं व्यवहार प्रकरणों की सुनवाई।
22.			पूर्व में तहसील न्यायालय मुंगावली में नियमित प्रथम / अतिरिक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक जो तहसील मुंगावली के क्षेत्राधिकार से उद्भूत प्रकरणों की सुनवाई की गई है अथवा न्यायालय रिक्त होने की दशा में (सत्र प्रकरण / आपराधिक अपील / आपराधिक पुनरीक्षण / सिविल प्रकरण / भू-अर्जन / मोटरदावा अधिकरण / लघुवाद), व अन्य प्रकरण जो अपील न्यायालय से रिमांड पर पुनः सुनवाई होने हेतु वापिस होने की दशा में एवं उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं इजरा प्रकरण की विधिवत सुनवाई कर निराकरण करेंगे।
23.	द्वितीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मुंगावली	तहसील मुंगावली	तहसील मुंगावली एवं पिपरई (तहसील चंदेरी की सीमा तक) के थाना क्षेत्रों एवं पुलिस चौकियों से उत्पन्न मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरण, विविध प्रकरण एवं मोटर यान अधिकारी 1988 की धारा 165(2) के संशोधन के फलस्वरूप प्रस्तुत होने वाले कलेम प्रकरण एवं प्रवर्तन।

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
6.	द्वितीय जिला एवं अतिऽ सत्र न्यायाधीश, मुंगावली	—	रिक्त न्यायालय
7.	जिला एवं अतिऽ सत्र न्यायाधीश, चंदेरी	सत्रखण्ड अशोकनगर तहसील चंदेरी	<p>1. सत्र प्रकरण।</p> <p>2. आपराधिक अपीलें।</p> <p>3. आपराधिक पुनरीक्षण।</p> <p>4. तहसील चंदेरी एवं पिपरई (तहसील मुंगावली की सीमा तक) के पुलिस थाने एवं चौकियों से उत्पन्न प्रतिभूति आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र. सं. 1973 प्रस्तुत होने पर उनका निराकरण।</p> <p>5. आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई का क्षेत्राधिकार रखने वाले मामले।</p> <p>6. समस्त दोष मुक्ति/दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील/निगरानी जो चंदेरी स्थित न्यायिक दण्डाधिकारीगण के न्यायालयों एवं अनुदण्डाधिकारी चंदेरी द्वारा पारित निर्णय, दंडादेश एवं आदेश के विरुद्ध अपील, पुनरीक्षण प्राप्त होने पर उनमें स्थगन बाबत विचार किया जावेगा। तत्पश्चात् पंजीयन हेतु सत्र न्याया, अ/नगर में प्रस्तुत किया जावेगा, तदोपरांत सत्र न्याया के आदेशानुसार उनमें आगामी कार्यवाही की जावेगी।</p> <p>7. रूपये एक करोड़ एक रूपये से दस करोड़ रूपये तक के चंदेरी तहसील क्षेत्र से उत्पन्न व्यवहार वाद।</p> <p>8. भू-अर्जन संबंधी प्रकरण।</p> <p>9. लघुवाद अधिऽ के अंतर्गत पॉच सौ रु. से अधिक एक हजार रु. तक के प्रकरण।</p> <p>10. भा.विवाह विच्छेद अधि1980 के अंतर्गत एवं हि. विवाह अधिऽ 1955 के अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>11. गार्जियन एण्ड वार्डस एकट 1890 के अंतर्गत संरक्षककर्ता एवं प्रतिपाल अधिऽ 1890 के अधीन प्रकरण।</p> <p>12. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत लेटर्स ॲफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्रोवेट संबंधी प्रकरण 1 लाख रु. की सीमा तक।</p> <p>13. म०प्र० स्थान नियंत्रण अधिऽ के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक अधिकारी एवं नगरपालिका विधान के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील।</p> <p>14. तहसील चंदेरी के नगरपालिका अधिऽ के अंतर्गत आधिकारिता क्षेत्र रखने वाले मामले एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकायें, तहसील चंदेरी क्षेत्र के अंतर्गत</p>

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
उत्पन्न।			
15.	अन्य सभी प्रकार के ऐसे साम्पत्तिक प्रकरण, जिन्हें समय—समय पर जिला न्यायाधीश अशोकनगर द्वारा सुनवाई हेतु अंतरित किया जावेगा।		
16.	अतिऽ०/व्यवहार न्यायाधीश व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अतिऽ० व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खण्ड चंदेरी के न्यायालयों द्वारा व्यवहारवादों में पारित, निर्णय, जयपत्रों के विरुद्ध अपीले एवं आदेशों के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीले।		
17.	<u>तहसील चंदेरी एवं पिपरई (तहसील मुंगावली की सीमा तक) से उत्पन्न होने वाले पॉक्सो अधिनियम, 2012 से संबंधित समस्त प्रकरण।</u>		
18.	क्रमांक 1 लगायत 17 से संबंधित प्रकरणों से उत्पन्न विविध आपराधिक एवं व्यवहार प्रकरणों की सुनवाई।		
19.	मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिके अंतर्गत भाडा नियंत्रक अधिकारी एवं न.पा विधान के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपीले।		
20.	पूर्व में तहसील न्यायालय मुंगावली में नियमित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जिनमें तहसील चंदेरी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत प्रकरणों की सुनवाई की गई है अथवा तहसील चंदेरी से संबंधित प्रकरण जो न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, उक्त दशा में भी (सत्र प्रकरण/आपराधिक अपील /आपराधिक पुनरीक्षण /सिविल प्रकरण / भू-अर्जन /मोटरदावा अधिकरण/ लघुवाद), व अन्य प्रकरण जो अपील न्यायालय से रिमांड पर पुनः सुनवाई होने हेतु वापिस होने की दशा में एवं उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं इजरा प्रकरण की विधिवत सुनवाई कर निराकरण करेंगे।		
21.	तहसील चंदेरी एवं पिपरई (तहसील मुंगावली की सीमा तक) के थाना क्षेत्रों एवं पुलिस चौकियों से उत्पन्न मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरण, विविध प्रकरण एवं मोटर यान अधिऽ० 1988 की धारा 165(2) के संशोधन के फलस्वरूप प्रस्तुत होने वाले क्लेम प्रकरण एवं प्रवर्तन।		
8.	प्रथम व्यवहार न्याया. वरिष्ठ अशोकनगर	अशोकनगर एवं नईसरायं खण्ड,	<p>1. व्यवहारवाद, जिनका मूल्याकांन पांच लाख एक रु से एक करोड़ रुपये तक, मय दिवालिया प्रकरण के।</p> <p>2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण, जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावेगे।</p>

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
3.	लघुवाद अधि. के अंतर्गत पाँच सौ रुपये तक के प्रकरण।		
4.	मध्यप्रदेश नगरपालिका अधि. के अंतर्गत प्रस्तुत अपीले।		
5.	मुस्लिम महिला तलाक एवं संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।		
6.	भारतीय उत्तराधिकार अधि. के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण।		
7.	कं. 1 लगायत 6 के प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन।		
8.	मुख्यालय अशोकनगर के समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियों में सुनवाई एवं निराकरण करेंगे।		
9.	द्वितीय व्यवहार न्यायालय वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर	शाढ़ौरा	<p>1. व्यवहारवाद, जिनका मूल्याकांन पाँच लाख एक रुपये से एक करोड़ रुपये तक, मय दिवालिया प्रकरण के।</p> <p>2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण, जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावेंगे।</p> <p>3. लघुवाद अधि. के अंतर्गत पाँच सौ रुपये तक के प्रकरण।</p> <p>4. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधि. के अंतर्गत प्रस्तुत अपीले।</p> <p>5. मुस्लिम महिला तलाक एवं संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।</p> <p>6. भारतीय उत्तराधिकार अधि. के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण।</p> <p>7. कं. 1 लगायत 6 के प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन।</p>
10.	तृतीय व्यवहार न्यायालय वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर	ईसागढ़	<p>1. व्यवहारवाद, जिनका मूल्याकांन पाँच लाख एक रुपये से एक करोड़ रुपये तक, मय दिवालिया प्रकरण के।</p> <p>2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण, जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावेंगे।</p>

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
3.	लघुवाद अधि. के अंतर्गत पॉच सौ रुपये तक के प्रकरण।		
4.	मध्यप्रदेश नगरपालिका अधि. के अंतर्गत ब्रस्तुत अपीले।		
5.	मुस्लिम महिला तलाक एवं संरक्षण अधिनियम 1936 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।		
6.	भारतीय उत्तराधिकार अधि. के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण।		
7.	कं. 1 लगायत 6 के प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन।		
11.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अशोकनगर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश,	—	—
12.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अशोकनगर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश,	—	<b>रिक्त न्यायालय</b> (रजिस्ट्री, माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के पृष्ठांकन कं0 ए/2087 जबलपुर दिनांक 04.05.2022 एवं उसके साथ संलग्न म0प्र0 शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश कं0 2012/1545/2022/50-2 दिनांक 28.04.2022 एवं किशोर न्याय बोर्ड, अशोकनगर में लंबित प्रकरणों की संख्या तथा रजिस्ट्री, माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के ज्ञापन कं0 डी/1928 जबलपुर दिनांक 11.03.2014 के आलोक में श्रीमती अर्चना रघुवंशी, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अशोकनगर को आगामी आदेश तक सप्ताह के सभी कार्य दिवस किशोर न्याय बोर्ड, अशोकनगर की बैठक आयोजित किये जाने के फलस्वरूप)
13.	प्रथम व्याधीश कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर		<ol style="list-style-type: none"> <li>ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-2 पर अंतरित किये जावेंगे।</li> <li>विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक एक, दो से उत्पन्न होने पर।</li> <li>मुख्यालय अशोकनगर के समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपर्दित करेंगे।</li> </ol>

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
14.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर श्रृंखला न्यायालय ईसागढ़	तहसील ईसागढ़	<p>1. व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन रूपये एक से पांच लाख रूपये तक हैं, मय दीवालिया प्रकरण के।</p> <p>2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-2 पर अंतरित किये जावेंगे।</p> <p>3. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक एक,दो से उत्पन्न होने पर।</p>
15.	द्वितीय व्या० न्याया० कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर	—	रिक्त न्यायालय
16.	तृतीय व्या० न्याया० कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर	अशोकनगर, शाढ़ौरा एवं नईसरायं (अवधि दिनांक 02.01.2023 से 28.02.2023 एवं 01.07.2023 से 31.08.2023 तक के लिए)	<p>1. व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन रूपये एक से पांच लाख रूपये तक हैं, मय दीवालिया प्रकरण के।</p> <p>2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-2 पर अंतरित किये जावेंगे।</p> <p>3. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक एक,दो से उत्पन्न होने पर।</p>
17.	चतुर्थ व्या० न्याया० कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर	अशोकनगर, शाढ़ौरा एवं नईसरायं (अवधि दिनांक 01.03.2023 से 30.04.2023 एवं 01.09.2023 से 31.10.2023 तक के लिए)	<p>1. व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन रूपये एक से पांच लाख रूपये तक हैं, मय दीवालिया प्रकरण के।</p> <p>2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-2 पर अंतरित किये जावेंगे।</p> <p>3. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक एक,दो से उत्पन्न होने पर।</p>
18.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अशोकनगर के न्यायालय के प्रथम अंति० न्यायाधीश	अशोकनगर, शाढ़ौरा एवं नईसरायं (अवधि दिनांक 01.05.2023 से 30.06.2023 एवं 01.11.2023 से 31.12.2023 तक के लिए)	<p>1. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-2 पर अंतरित किये जावेंगे।</p> <p>2. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक एक,दो से उत्पन्न होने पर।</p>
21.	व्यवहार न्याया० वरिष्ठ खण्ड, मुंगावली	तहसील मुंगावली	<p>1. व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन पांच लाख एक रूपये से एक करोड़ रूपये तक, मय दीवालिया प्रकरण।</p> <p>2. तहसील मुंगावली में मध्य प्रदेश नगरपालिका अधि. के अधीन प्रस्तुत अपीले।</p> <p>3. मुस्लिम महिला तलाक एवं संरक्षण अधि० 1986 के</p>

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
			अंतर्गत समस्त प्रकरण।
22.	प्रथम व्य0 न्यायालय कनिष्ठ खण्ड खण्ड, मुंगावली	तहसील मुंगावली एवं पिपरई (अवधि दिनांक 01.01.2023 से 28.02.2023 एवं 01.07.2023 से 31.08.23 तक के लिए)	<p>4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण।</p> <p>5. लघुवाद अधि. के अंतर्गत एक से पाँच सौ रु. तक के प्रकरण।</p> <p>6. ऐसे साम्पत्तिक प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीष द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावेगे।</p> <p>7. तहसील मुंगावली के समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे।</p> <p>8. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक 1 लगायत 7 से उत्पन्न होने पर।</p>
23.	द्वितीय व्य0 न्यायालय कनिष्ठ खण्ड खण्ड, मुंगावली	तहसील मुंगावली एवं पिपरई (अवधि दिनांक 01.03.2023 से 30.04.2023 एवं 01.09.2023 से 31.10.2023 तक के लिए)	<p>1. व्यवहारवाद जिनका मूल्याकंन रूपये एक से पांच लाख रूपये तक है, मय दीवालिया प्रकरण के।</p> <p>2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीष द्वारा समय-2 पर अंतरित किये जावेंगे।</p> <p>3. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक एक,दो से उत्पन्न होने पर।</p>
24	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मुंगावली	तहसील मुंगावली एवं पिपरई (अवधि दिनांक 01.05.2023 से 30.06.2023 एवं 01.11.2023 से 31.12.2023 तक के लिए)	<p>1. व्यवहारवाद जिनका मूल्याकंन रूपये एक से पांच लाख रूपये तक है, मय दीवालिया प्रकरण के।</p> <p>2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-2 पर अंतरित किये जावेंगे।</p> <p>3. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक एक,दो से उत्पन्न होने पर।</p> <p>4. तहसील मुंगावली के समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त</p>

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
25.	व्या० न्याया० वरिष्ठ खण्ड चंदेरी	तहसील चंदेरी	<p>हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे।</p> <p>1. व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन पांच लाख एक रुपये से एक करोड़ रुपये तक, मय दीवालिया प्रकरण।</p> <p>2. तहसील चंदेरी में मध्य प्रदेश नगरपालिका अधि. के अधीन प्रस्तुत अपीले।</p> <p>3. मुस्लिम महिला तलाक एवं संरक्षण अधि० 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।</p> <p>4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण।</p> <p>5. लघुवाद अधि. के अंतर्गत एक से पाँच सौ रु. तक के प्रकरण।</p> <p>6. ऐसे साम्पत्तिक प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीष द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावेंगे।</p> <p>7. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक 1 लगायत 6 से उत्पन्न होने पर।</p> <p>8. तहसील चंदेरी के समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे।</p>
26.	प्रथम व्या० न्याया० कनिष्ठ खण्ड, चंदेरी	तहसील चंदेरी (अवधि दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2023 एवं 01.07.2023 से 30.09.2023 तक के लिए)	<p>1. व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन रुपये एक से पांच लाख रुपये तक है, मय दीवालिया प्रकरण के।</p> <p>2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—2 पर अंतरित किये जावेंगे।</p> <p>3. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक एक,दो से उत्पन्न होने पर।</p> <p>4. तहसील चंदेरी के समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के सभी</p>

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
27.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, चंदेरी	तहसील चंदेरी (अवधि दिनांक 01.04.2023 से 30.06.2023 एवं 01.10.2023 से 31.12.2023 तक के लिए)	प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे।
28.	न्या० ग्राम न्यायालय अशोकनगर,	जनपद पंचायत अशोकनगर,	1. व्यवहारवाद जिनका मूल्याकांन रूपये एक से पाँच लाख रूपये तक हैं, मध्य दीवालिया प्रकरण के। 2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-2 पर अंतरित किये जावेंगे। 3. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक एक दो से उत्पन्न होने पर।
29.	न्या० ग्राम न्यायालय, चंदेरी	जनपद पंचायत, चंदेरी	1. व्यवहार प्रकरण जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के वह सुनवाई करेंगे। 2. उपरोक्त से उत्पन्न विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन।
			1. व्यवहार प्रकरण जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के वह सुनवाई करेंगे। 2. उपरोक्त से उत्पन्न विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन।

#### नोट :-

1— विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०), विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) एवं विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार अधिनियम) के न्यायालय से संबंधित उक्त अधिनियम के अतिआवश्यक प्रकृति के कार्य संबंधित पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने या अन्यथा अनुपस्थित होने की दशा में सत्र न्यायाधीश अशोकनगर द्वारा सुनवाई में लिये जावेंगे एवं उनके अवकाश पर होने या अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम् अति० सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई में लिये जायेंगे।


2— ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश की अवधि में प्रस्तुत होने वाले व्यवहारवाद लॉलिल न्यायालय नियम की धारा 21(5) में दिये गये निर्देशानुसार संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय वादपत्र ग्रहण कर विधिवत सुनवाई करेंगे।

3— न्यायाधीशगणों के अवकाश/ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश अवधि व अन्य प्रकार से अनुपस्थित रहने की दशा में या न्यायालय रिक्त होने की दशा में न्यायाधीशगण का न्यायिक कार्य विभाजन पत्रक के साथ सत्तान अनुलंगनक-‘ए’ अनुसार न्यायाधीशगण न्यायालय का कार्य एवं अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करेंगे एवं उच्च न्यायिक सेवा के न्यायाधीशगण तथा व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड के अवकाश व अन्य प्रकार से अनुपस्थित रहने की दशा में मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठतम् न्यायाधीश के द्वारा संबंधित न्यायालय का कार्य एवं अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित किया जावेंगा।

5. श्रृंखला न्यायालय, तहसील ईसागढ़ में न्यायाधीश के अवकाश/ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश अवधि व अन्य प्रकार से अनुपस्थित रहने की दशा में या न्यायालय रिक्त होने की दशा में संबंधित आदेश के साथ सलान अनुलंगनक—“ए” अनुसार न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय ईसागढ़ के न्यायालय का कार्य एवं अतिरिक्त आवश्यक कार्य मुख्यालय अशोकनगर में संपादित करेंगे।

6. श्रृंखला न्यायालय ईसागढ़ के कार्य दिवसों के पश्चात् तहसील ईसागढ़ से संबंधित अत्यावश्यक कार्य प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर के द्वारा मुख्यालय अशोकनगर में संपादित किये जावेंगे।

7. श्रृंखला न्यायालय अवधि में न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर से संबंधित न्यायालयीन कार्य एवं अतिरिक्त आवश्यक कार्य, कार्य विभाजन आदेश के साथ सलान अनुलंगनक—“ए” अनुसार न्यायाधीशगण संपादित करेंगे।


  
(पी0को० शमी)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
अशोकनगर (म0प्र0)

पू० क्रमांक...../एक—11—03/सां०/2010

अशोकनगर दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर।
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म0प्र0 खंडपीठ ग्वालियर।
3. प्रथम/द्वितीय/अतिं० जिला न्यायाधीश, अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी।
4. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/अतिं० व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी।
5. जिला रजिस्ट्रार, अशोकनगर।
6. कलेक्टर, अशोकनगर।
7. पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर।
8. अध्यक्ष अभिभाषक संघ अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी की ओर सूचनार्थ।
9. प्रशासनिक अधिकारी/उप—प्रशासनिक अधिकारी
10. प्रस्तुतकार प्रधान जिला न्यायाधीश, अशोकनगर।

  
प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश  
अशोकनगर (म0प्र0)

## —:: અનુલગ્નક - "એ" ::-

~- न्यायिक जिला अशोकनगर में न्यायाधीशगण की अनुपस्थिति में समस्त सिविल कार्य सम्पादन किये जाने बाबत:-



तोटः-

१- विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०), विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) एवं विशेष न्यायाधीश (प्रष्टाचार अधिनियम) के न्यायालय से संबंधित उद्दन अधिनियम के अंतिआवश्यक प्रकृति के कार्य संबंधित पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने या अन्यथा अनुपस्थित होने की दशा में सत्र न्यायार्थिश अशोकनगर द्वारा सुनवाई में लिये जायेंगे एवं उनके अवकाश पर होने या अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम् अतिः सत्र न्यायार्थीश द्वारा सुनवाई में लिये जायेंगे।

*Sharm*  
प्रधान जिला सच सत्र न्यायाधीश  
अशोकनगर (भ०प्र०)

